NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No. 187 / NCRES / 2019

दिनांक 9.7.2019

श्रीमान महाप्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषय :– रेल दुर्घटना के दौरान ब्रेक डाउन ड्यूटी में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को निःशुल्क भोजन के एवज में बेहद कम नगद भुगतान।
संदर्भ :– एन.सी.आर.ई.एस. हेडक्वाटर पी.एन.एम. आइटम नं0 20 / 2017

महोदय,

NCRES को अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या RBE 134/2015 दिनांक 27.10.2015 के अनुसार रेल दुर्घटना के दौरान ब्रेक डाउन ड्यूटी में कार्य करने के लिये बुलाये गये सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को, उस अवधि के दौरान, जिसमें वे ब्रेक डाउन ड्यूटी पर हो, उन्हें यदि विभागीय अथवा दूसरे साधनो से निःशुल्क भोजन की आपूर्ति करना सम्भव न हो तो कर्मचारियों को नगद भुगतान किया जायेगा जो वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के परामर्श से महाप्रबंधक द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में निर्धारित की गई दरे निम्न है :–

भोजन – 35 रूपये, नाश्ता – 30 रूपये, चाय – 7 रूपये

इस तरह से पूरे दिन के चाय, नाश्ते, दोपहर का खाना एवं रात का खाना के लिये कुल 114 रूपये निर्धारित किया गया है। NCRES का मानना है कि महंगाई के चलते वर्तमान समय में यह दर बेहद कम एवं अतार्किक है एवं जिसके कारण NCRES ने हेडक्वाटर PNM के मद संख्या 20 / 2017 में मांग किया कि दुर्घटना के समय दिये जाने वाले आहार भत्ते की दर बढ़ाई जाय लेकिन वर्तमान में ब्रेकडाउन ड्यूटी के समय चाय, नास्ता, और भोजन के एवज में मिलने वाला नगद भुगतान बन्द कर दिया गया है।

यहाँ यह अवगत कराना बेहद आवश्यक है कि 7th CPC की रिपोर्ट के अध्याय 8.1 में कम संख्या 50 पर जिस आहार भत्ते को समाप्त किया गया है उसका सरोकार रेल दुर्घटना के दौरान कार्यरत कर्मचारियों को भोजन / चाय आदि के मद में स्टेशन अर्निंग से दिये जाने वाले भुगतान से नही है। ऐसे में इस भुगतान को रोक देने से दुघर्टना के समय मेहनत से कार्य कर रहे रेल कर्मचारी भूखे रह कर अथवा अपने पैसे से भोजन खरीद कर कार्य कर रहे है जो उचित नही है।

अतः NCRES की मांग है कि इन दरो को 200 रूपये भोजन, 150 रूपये नाश्ते एवं 25 रूपये चाय की दर से बढ़ाया जाय।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री